(ख) उत्पादन में और सुधार करने के लिए लगातार यत्न किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). यद्यपि एक चपुर्थांश के उत्पादन के आधार पर निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है तथापि नए सन्यन्त्रों में उत्पादन की उच्चतर गतियों को प्राप्त करने के चिन्ह हैं।

करों का अपवंचन

*465. **श्री ओंकार सिंह** :
श्री शारदानन्द :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग के निरीक्षण निदेशालय के गुप्तचर कक्ष ने गत दो वर्षों में ऐसे कितने मामले पकड़े हैं, जिनमें प्रत्येक मामले में कर अपवंचन की राशि 5 लाख रुपये से अधिक थी ;

(ख) ऐसे प्रत्येक आयकर अपवंचक का नाम और पता क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी कर-राशि का अपवंचन किया गया था ; और

(ग) उनमें से कितने मामलों में कर-निर्धारण कर लिया गया है और किन-किन पक्षों पर कर-अपवंचन के कारण फौजदारी के मुकदमे चलाये गये हैं और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी राशि के कर का अपवंचन किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) गुप्त-सूचना पक्ष ने वित्तीय वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान ऐसे 68 मामलों की रिपोर्ट दी है जिनमें से प्रत्येक में 5 लाख रुपये से अधिक के कर-अपवंचन का अनुमान लगाया गया था। केवल गुप्त-सूचना पक्ष की रिपोर्टों के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कर का अपवंचन किया गया है। गुप्त-सूचना पक्ष ने जो प्रमाण एकत्रित किये हैं उनको कर निर्धारण अधिकारी निर्धारितियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कर-निर्धारण पूरा होने पर ही कर अपवंचन का निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है। इनमें से कई मामलों का कर-निर्धारण अभी होना बाकी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब तक कर-निर्धारण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक ऐसे सब मामलों के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) बम्बई के रुइया समूह के मामलों में और मद्रास, बंगलौर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी तथा उसके भागीदारों के मामले में कर-निर्धारण पूरे हो चुके हैं। पहले समूह द्वारा 8,94,5~6 रुपये का और दूसरे के द्वारा 12,76,925 रु० का कर अपवंचन किया गया था। इन दोनों मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गई थी। पहले समूह के मामलों में न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, जबकि दूसरे समूह से सम्बन्धित मुकदमों में 5,00,000 रु० की अदायगी करने पर समझौता किया गया।

पन बिजली पैदा करने सम्बन्धी कार्यक्रम

*466. **श्री महाराज सिंह भारती** :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय पैदा की जा रही पन बिजली की तुलना में दस गुना अधिक पन बिजली पैदा की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो पन बिजली पैदा करने के लिये छोटा कार्यक्रम बनाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। इस समय देश में